—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 151/24

उनवान

शंकर सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिलाना, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुनितादेवी पत्नी रामदेव जाति गुर्जर निवासी घुघरा घाटी, अजमेर
2. पी. गंडेविया पुत्र ए.एन. गंडेविया जाति पारसी निवासी बालुपुरा रोड, आर्दश नगर, अजमेर **(तर्क)**
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री गोर्वधन गुर्जर,
3 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :—   दिनांक :— 19.5.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिलाना में स्थित निम्न आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की है :—

चौसाला ख. न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
1966	1—13—10	2523	1—13—10	1954	0.27
2044	0—19—10	2597	0—19—10	2035	0.14
				2036	0.02
2023	2—14—0	2574	2—14—0	2156	0.44
2018	2—19—0	2565	2—19—0	2179	0.08
				2182/4489	0.40
1950	1—08—0	1269	1—08—0	2107	0.23
2434	1—7—10	3003	1—7—10	3614	0.12
				3615	0.11

उपरोक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। बंदोबस्त विभाग व राजस्व कार्मिको ने भू संशोधन के दौरान बिना किसी रहन, बैचान हस्तांतरण के आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम गलत तरीके से अंकन कर दी। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे हे तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद कि[illegible]

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीग[illegible] [illegible]रियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र [illegible] आराजी जवाबकर्ता की कयशुदा आराजी है। प्रार्थी के [illegible] अधिक आराजी खाते [illegible] के कारण नियमानुसार सरप्लस जमीन सिलिंग कार्यवाही अ[illegible] में लाकर आराजी को [illegible] अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

सिवायचक दर्ज किया जाकर दिनांक 22.11.75 को अप्रार्थी संख्या 2 के पिता को कीमतन आवंटन किया गया। उक्त आवंटी का मौके पर कब्जा होने के कारण खातेदार के रूप में दर्ज रहा है। आवंटी के निधन के बाद उक्त आराजी का नामान्तकरण विरासत के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज किया गया। आराजी मुतनाजा दिनांक 14.11.22 को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा क्रय की गयी, जिसका नामान्तकरण हाल राजस्व अभिलेख में जवाबकर्ता के नाम हो गया है। आराजी मुतनाजा वर्तमान में प्रार्थी के कब्जे में है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 की नाऔलाद मृत्यु होने के कारण उसका नाम तर्क किया गया। राज. पैरोकार ने प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :-

ग्राम तिलाना के हाल खसरा नम्बर की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। बंदोबस्त विभाग व राजस्व कार्मिको ने भू संशोधन के दौरान बिना किसी रहन, बैचान हस्तांतरण के आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम गलत तरीके से अंकन कर दी। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार सिलिंग वाद संख्या 123/71 शंकर सिंह पुत्र गणपत सिंह के तहत उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दिनांक 22.11.75 को अप्रार्थी संख्या 2 के पिता को कीमतन आवंटन किया गया। उक्त आवंटी का मौके पर कब्जा होने के कारण खातेदार के रूप में दर्ज रहा है। आवंटी के निधन के बाद उक्त आराजी का नामान्तकरण विरासत के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज किया गया। आराजी मुतनाजा दिनांक 14.11.22 को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा क्रय की गयी, जिसका नामान्तकरण हाल राजस्व अभिलेख में जवाबकर्ता के नाम हो गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि बिना विषम परिस्थितियों के रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। उक्त आराजी दिनांक 22.11.75 से प्रार्थी के नाम दर्ज नही है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्व भी कोई चाराजोही नही की है। भूमि के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही किये जा सकते है। प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :- विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा का आवंटन होने के बाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जरियें विक्रय पत्र दर्ज की गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार दर्ज है। भूमि वर्ष 1975 से प्रार्थी के नाम दर्ज नही है।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये [illegible] किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्र[illegible] पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अ[illegible] के पक्ष में नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

---3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम तिलाना की उक्त आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested